

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
--कार्यालय आदेश--

का0आ0सं0-3/अ0प्र0-01-22/2014 638 /पटना, दिनांक- 26.11.25

श्री रविन्द्र कुमार सिंह, तत्कालीन कनीय अभियंता, रूपौली प्रखंड (NREP) पूर्णियाँ सम्प्रति अधीक्षण अभियंता, जॉच एवं गुणवत्ता नियंत्रण अंचल, पूर्णियाँ के हिरासत अवधि दिनांक 17.01.1991 से 31.01.1991 को बिहार सेवा संहिता के नियम-180, 236 (2) के प्रावधानानुसार असाधारण अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

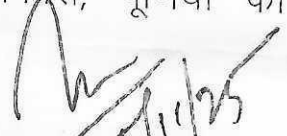
2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।


(आदित्य प्रकाश)

ज्ञापांक:-3/अ0प्र0-01-22/2014 11948

सरकार के अवर सचिव
/पटना, दिनांक- 26.11.25

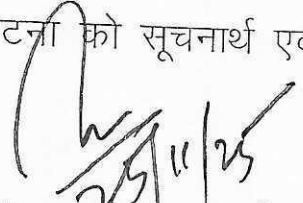
प्रतिलिपि:-महालेखाकार का कार्यालय, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



ज्ञापांक:-3/अ0प्र0-01-22/2014 11948

सरकार के अवर सचिव
/पटना, दिनांक- 26.11.25

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव/विशेष सचिव के आशुलिपिक/मुख्य अभियंता, निर्माण एवं गुणवत्ता नियंत्रण पटना/मुख्य अभियंता, अनुरक्षण एवं उन्नयन, पटना/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, जॉच एवं गुणवत्ता नियंत्रण अंचल, पूर्णियाँ/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-04/06/12/श्री रविन्द्र कुमार सिंह, तत्कालीन कनीय अभियंता, रूपौली प्रखंड (NREP) पूर्णियाँ सम्प्रति अधीक्षण अभियंता, जॉच एवं गुणवत्ता नियंत्रण अंचल, पूर्णियाँ एवं आई0 टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के अवर सचिव